

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 100]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 2 मार्च 2015—फाल्गुन 11, शक 1936

परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 मार्च 2015

क्र. एफ 22-05-2008-आठ.—परिवहन विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 03 अगस्त 2013, 06 मार्च 2014, 10 मार्च 2014 एवं 21 जुलाई 2014 के तारतम्य में केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम-108 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, राज्य शासन, एतद्द्वारा, अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता फोरम, भोपाल को यान के अग्रशीर्ष भाग पर, लाल बत्ती प्रयोग करने की अनुज्ञा प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मलय श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.